न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व वाद 180/2011

वादीनी :-

1. ओमादेवी उर्फ आसु पुत्री स्व0 चौथाराम, धर्मपत्नि किशनलाल जाति भाट (बणजारा) निवासी मेवानगर हाल जोधपुर राज

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 चौथारामजी
2. जीवाराम पुत्र स्व0 चौथारामजी जाति भाट
3. भट्टाराम पुत्र सोनाराम
4. मु. चनणी बेवा सोनाराम जाति भाट

1 ता 4 जाति भाट निवासी मेवानगर तह0 पचपदरा

5. मैनेजर एस.बी.बी.जे शाखा जसोल तह0 पचपदरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद पत्र वास्ते बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री .नरपतसिंह भाटी वादीगण वकील
श्री सन्तोष भंसाली प्रतिवादी वकील

निर्णय दिनांक :- 28.03..2018

वादी ने यह वाद पत्र मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेवानगर की सीमा में न वर्णित कृषि भूमि स्व0 चौथाराम एवं स्व0 सोनाराम के कब्जा कास्त खातेदारी की भूमि स्थित है खसरा न0 103 रकबा 12 बीघा 505/183, 1117/183 रकबा 35 बीघा खसरा 177 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा, ख0न0 184 रकबा 25 बीघा 07 विस्वा बा0 दोयम कुल बा 83 बीघा है उक्त साकिन कृषि भूमि तदोपरान्त इस वाद पत्र के सन्दर्भ में वादग्रस्त षि भूमि के नाम से सम्बोन्धित की जावे वादग्रस्त आगामी स्व0 चौथाराम व स्व0 सोनाराम ग्रान अचला के निष्फा निष्फा/अर्थात 1/2 व 1/2 हिस्से की कब्जा कास्त खातेदारी की 1/2 हिस्सेदार के खातेदार टीनेन्ट स्व चौथाराम के परिवार में उनके दो पुत्र शंकरलाल व ीवाराम है जो

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है व एक पुत्री ओमादेवी उर्फ आसु है जो वादीनी है चौथाराम की पत्नि अर्थात् वादीनी की माता का भी देहान्त हो चुका है। चौथाराम के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण 1 व 2 में गलत तौर से वादीनी का नाम छिपा कर अकेले प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम ही अवैध व अशुद्व नामान्तरकरण संख्या 548 पारित करवा दिया किन्तु फिस्कल प्रवृति में नामान्तरकरण की प्रविष्टीया हक हितो का अधिकारो का तो सृजन होता है और न निर्वाचन ही होता है।

वादीनी स्व0 चौथाराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी पूरी होने से धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम संख्या 30/1956 एवं धारा 40 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के प्रवृतन से स्वतः ही प्रतिवादीगण 1 व 2 के साथ साथ खातेदार टीनेन्ट हो गयी व विधि के अनुसार स्व0 चौथाराम के 1/2 हिस्से में 21/3 अर्थात 1/6 हिस्से की बराबर की

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

tanceaously खातेदार टीनेन्ट हो गई अतः नामान्तरकरण संख्या 548 का कोई प्रभाव के विधिक हिस्से के विरूद्ध नहीं हुआ और न हो ही सकता। वादीनी का वादग्रस्त ूमि में कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह संयुक्त अविभाजित रहा एवं आज रोज भी कायम है।

वाग्रस्त कृषि भूमि जिसका विवरण पद संख्या– 1 वादपत्र में दर्ज है कुल 83 बीघा में ौथाराम के 1/2 हिस्से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ 1/3 हिस्से बराबर 13 17 विस्वा के खातेदार टीनेन्ट वादीनी को घोषित किया जाएं एवं घोषणा के अनुसरण में अभिलेख में आवश्यक अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करावे। तथा अवैध त नामान्तरकरण संख 548 निरस्त /अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे एवं न आदेष म्यूटेशन संख्या 548 की प्रविष्टीया अभिलेख से हटाये जाने के आदेश प्रदान ।

वाद घोषणा वादीनी के हिस्से की 13 बीघा 17 विस्वा भूमि शेष वादग्रस्त कृषि भूमि ों के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाकर 13 बीघा 17 विस्वा जुदा की जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में जुदा जुदा बट्टा न0 दर्ज अंकित किये र नक्शा आवश्यक तरमीम किये जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इस आशय की स्थायी ाज्ञा से निषेधित एवं निवारित किया जावे की को वादीनी के बंटवाडा तरमीम सुदा भूमि भूमि में स्वंय या अन्य किसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई दखल हस्तक्षेप बाधा ाध पारित नहीं करें। बंटवाडा सुदा 13 बीघा 17 विस्वा कृषि भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा करे वाद का व्यय वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें ।

वादीनी का वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या–1 शंकरलाल ने दिनांक 23.07.2012 को जबाब पेश कर निवेदन किया चौथाराम का देहान्त 14.08.93 को हुआ था वास्तव में यह दावा जीवाराम के द्वारा करवाया मुझ प्रतिवादी पर दबाबा डालने की नियत से गलत रूप से चौथाराम की पुत्री बताकर दावा लाया गया वादीन ओमादेवी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते उसका 1/6 हिस्सा खातेदार अधिकार होना गलत बताया है। वादपत्र में बताया गया सजरा बताया गया जो त है तथा वादीनी का कब्जा काश्त कभी भी हमारे साथ नहीं रहा है वाद पत्र का पद अस्वीकार किया व वादीनी ने ऐसा कथन तब किया वादीनी ने कभी भी हक वादीगण का ऐसा कथन किया ही नहीं और हमने कभी ऐसी स्वीकृति या ऐसा विश्वास दिलाया जबकि वादीनी का कोई हक हिस्सा ही नहीं है तो दुरूस्ती करवाने का कथन ने का या उससे मुकर जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं है ।

वादीनी का कभी हमारे साथ वाद ग्रस्त भूमि काश्त कब्जा नही रहा तथा जबाब में विशेष आपति पेशकी 1.

1. निषेधाज्ञा व सबंधी वाद में जहां पक्षकार आवश्यक तथ्यों की जानबुझ कर mislead कर embiguous रखते है जो इसी एक कारण से वाद पत्र खारीज किये जाने के योग्य है।
2. मेरा प्लोट मेवानगर में मकान व प्लोट है जीवाराम का मकान समदडी में है जीवाराम समदडी के मकान में मुझक हिस्सा देता तो मै मेवानगर के मकान / प्लाट में हिस्सा दे दूंगा।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

ओमीदेवी उर्फ आसुदेवी जो विशनाराम पुत्र माधु भाट की पत्नि थी मगर उसने हिन्दू धर्म त्याग कर मुसलिम धर्म अपना लिया एवं मुसलिम के साथ निकाह कर ली जिससे उसके दो पुत्रीया भी है वर्तमान में ओमा देवी जोधपुर में मुसलिम के साथ रह रही है।

3. ओमा देवी अपने आप को चौथाराम मेरे पिताजी की पुत्री होना साबित भी कर दे तो भी उसके द्वारा ईस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने और मुसलमान के साथ शादी कर लेने से हिन्दु उत्ताराधिकार कानून के अनुसार उसे कोई हक प्राप्त नहीं होता है।
4. सम्पूर्ण हक खातेदारी जीवाराम मुझ प्रतिवादी के पक्ष में हक तर्क कर चुका है।
5. खातेदार भट्ाराम व चनणीदेवी (प्रतिवादीनी) ने अपना हक मुझ प्रतिवादी के पक्ष में तर्क कर दिया
6. नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही गयी है जबकि इस सबन्ध में समक्ष न्यायालय में कोई अपील की गई ।

परोक्त वाद प्रकरण में अतिरिक्त लिखित कथन (जबाबुल जबाब) वादीनी की और से म्न है।
ावा कराने वाला जीवाराम है यह कथन सरासर गलत है दिनांक 14.08.1993 की दिनांक । दिनांक 17.06.1956 क बाद की है सजरा सही है दावा वादीनी ने अपने जन्म से स्टेडं (निहित) अधिकारों जो कभी भी विनिहित नहीं हुए के तहत सही तथ्यों का हकीकी ायर किया है सभी कथन पूर्णतया गलत है नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही सरसरी कृति भी होती है तथा ऐसी सरसरी कार्यवाही से स्वतह हक व अधिकार न तो सृजित ो होते है और न ही निर्माणित की होते है वादीनी को अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ अपने हक हितों की सीमा तक घोषणा के 00000का नियमित वाद या दावा करने का अधिकार ाप्त है। जीवाराम के विवाद के कथन सरासर बनावटी व मिथ्या रचित है चौथाराम की ्रथम श्रेणी की उत्ताराधिकारीनी जाईन्दा पुत्री है। शेष गलत है।

<u>विशेष आपतियां का जबाब</u>

विशेष आपतियों में दर्ज कथन समुचित विवरण क अभाव कमें न केवल vagoe एवं अस्पष्ट है वरन इस पद से उल्लेखित mislead कर embiguous जैसे शब्द नितान्त असंगत बेसुद एवं निरधार है। ग्राम मेवानगर का मकान पिता जी चौथारामजी कब्जा रहवास का एवं उनकी स्वंय की आय से तामीलसुदा मालिकाना का है जिसमें भी वादीनी का निहीत हक हिस्सा है उसके लिये भी जुदागाना कानूनी चाराजोही जो नजदीक है वादीनी के दोनो भाईयों में यदि कोई विवाद है तो उसका वादीनी को ज्ञान नहीं जीवाराम के द्वारा वादीनी का दावा करवाने के कथन गलत है। विशेष आपति पर संख्या–3 नितान्त मिथ्यारचित अनावश्यक कलंकात्मक तुच्छ एवं तंग करने वाले एवं निराधार लांछन युक्त चरित्र हनन के बनावटी कथन है जो अस्वीकार है।

वादीन ने कभी भी न तो इस्लाम धर्म स्वीकार किया और न ही किसी अनाम मुसलमान के साथ शादी की थी ऐसे सभी कथन एवं लाछन स्वार्थ से प्रेरित होकर रचगढ झूठे एवं बनावटी गलत सलाह कर प्रस्तुत किये गये वादिनपी की शादी वादीन के पिता ने प्रतिवादीगण जानकारी से रजाबंदी हिन्दू पति किशनलाल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह अनुष्ठान कर किया वादीनी के माता–पिता एवं वादीनी जन्म से हिन्दू होने

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

कारण हिन्दू पिता द्वारा विधि से शासित होते है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्ताधिकार नियम के प्रावधानों के तहत उतराधिकार के सारे हक वादीनी को प्राप्त है।

तिवादी शंकरलाल ने अपनी साक्ष्य मे अजखुद का शपथपत्र अर्न्गत आदेश 18 नियम ीपीसी के तहत पेश किया वादीनी ने चौथाराम के देहान्त के सम्बन्ध में तथ्य वाद में ाये गये है वादीन ओमादेवी को जीवाराम से मिलकर मुझ प्रतिवादी पर दबाब डालने नियत से गलत रूप से चौथराम की पुत्री बताकर यह दावा लाया है वादीनी उमा देवी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उसका 1/6 हिस्सा के खातेदारी अधिकार होना ात है। चौथाराम की मृत्यु के बाद उनक वारसिान बाद मे प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या जीवाराम व हमारी माता पुरादेवी थी पुरोदवी के देहान्त के बाद अर्थात अब तकि में तिवादी व प्रतिवादी संख्या–2 जीवाराम बराबर हकदार है। वादीन कब्जा काश्त भी नही ा है ।

वादीनी का कोई हक हिस्सा ही नहीं है तो दुरूस्त कराने का कथन व हमारे द्वारा कर जाने का कथन वाद पत्र में गलत लिखा है अगर वास्तव में वादीनी हमारी बहन ती तो तभी अथवा 20 साल की अवधि में कभी ऐसा कर सकती थी मगर अब तिवादी संख्या–2 जीवाराम के साथ मुझ प्रतिवादी का विवाद होने के कारण यह वाद सक द्वारा वादिनी क नाम से लाया जा रहा है जो सर्वथा गलत है। वादीन चौथाराम ी उत्ताराधिकारी ही नहीं है।

नामान्तरकरण में सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं होने से वह आदेश न्तिम हो चूका है जिरह में बताया की यह बात सही है कि मरे मित्र चौथाराम 1956 के ाद गुजरे थे। यह बात सही है कि ई एक्स ए 2 व ई एक्स ए 3, में वादीनी की साख हीं है क्योंकि वादीनी मेरी बहन नहीं है ये बात सही है चौथाराम जन्म से हिन्दू थे व हिन्दू रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई मेरी माता का नाम पूरो देवी था जीवाराम की माता का नाम पूरो देवी था। यह बात गलत है कि जीवाराम व ओमीदेवी दोनो बहन भाई नहीं है। ओमी देवी जीवाराम की धर्म बहन है। दावे में वंशावली में गलत बतायी गई है मैने अपने जबाब दावे की साथ मेरे पिता चौथाराम का सजरा पेश नहीं किया है मुझे मालूम न हीं कि ओमादेवी का नाम पुरोदेवी के कोख से हुआ है मुझे मालूम नहीं की हाजिर अदालत ओमा देवी ने मेरे पिता के घर में जन्म लिया है और उसे देखा हो यह बात सही है कि मेवानगर जो मकान है चौथारामजी के समय का है। पत्रावली में पेश दोनो ोटो से मै अपने भाई के साथ बैठा हूं, फोटो किसी प्रोग्राम का है मुझे ध्यान नहीं है मेरे फोटो में भाई के साथ मेरे भाई के साथ जीवारा की धर्म बहन बैठी है। जीवाराम ने वादीनी कब धर्म बहन बनाया मुझे याद नहीं है सपना के शादी समारोह में भाई जीवाराम के कहने से आया था विवाह की सारी रिस्में जीवाराम के कहने से की थी नेतर की लिखावट मेरे हाथ की नहीं है नेतर का कागज मेरी कलमी होने का झूठा लिखा जा रहा है। अज खुद कहा की उक्त पत्र फर्जी है मैने मेरे जबाब दावे मे वादीनी ओमादेवी को मेरे भाई जीवाराम के धर्म बहन होने का कोई कथन नहीं किया ओमादेवी को मै कब से जानता हूं इसका टाईम निश्चित नहीं है। नामान्तरकरणक भरने वक्त ओमादेवी की कोई नोटिस नहीं दिया गया अज खुद कहा कि ओमादेवी बहिन नहीं है इसलिए नोटिस नहीं दिया गया । यह बात गलत है कि म्यूटेशन संख्या 548 गलत भरा हो मुझे मालूम नहीं है कि ओमादेवी की शादी किशनलाल भाट बंजारा के साथ हुई हो यह बात गलत है कि मेरी माता पुरोदेवी मेरे पिता चौथाराम के गुजरने के पहले गुजरी हो बल्कि चौथाराम के गुजरने के बाद गुजरी थी। आपसी समझौता का दस्तावेज मैने दावा के साथ पेश नहीं

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) वासोदरा

Scanned by CamScanner

कारण हिन्दू पिता द्वारा विधि से शासित होते है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्ताधिकार नियम के प्रावधानों के तहत उत्तराधिकार के सारे हक वादीनी को प्राप्त है।
प्रतिवादी शंकरलाल ने अपनी साक्ष्य मे अजखुद का शपथपत्र अर्न्तत आदेश 18 नियम सीपीसी के तहत पेश किया वादीनी ने चौथाराम के देहान्त के सम्बन्ध में तथ्य वाद में पाये गये है वादीन ओमादेवी को जीवाराम से मिलकर मुझ प्रतिवादी पर दबाव डालने नियत से गलत रूप से चौथराम की पुत्री बताकर यह दावा लाया है वादीनी उमा देवी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उसका 1/6 हिस्सा के खातेदारी अधिकार होना गलत है। चौथाराम की मृत्यु के बाद उनक वारसान बाद मे प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या जीवाराम व हमारी माता पुरादेवी थी पुरोदवी के देहान्त के बाद अर्थात अब तकि में प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या–2 जीवाराम बराबर हकदार है। वादीन कब्जा काश्त भी नही रहा है।
वादीनी का कोई हक हिस्सा ही नहीं है तो दुरुस्त कराने का कथन व हमारे द्वारा मुकर जाने का कथन वाद पत्र में गलत लिखा है अगर वास्तव में वादीनी हमारी बहन होती तो तभी अथवा 20 साल की अवधि में कभी ऐसा कर सकती थी मगर अब प्रतिवादी संख्या–2 जीवाराम के साथ मुझ प्रतिवादी का विवाद होने के कारण यह वाद उसक द्वारा वादिनी क नाम से लाया जा रहा है जो सर्वथा गलत है। वादीन चौथाराम की उत्ताराधिकारी ही नहीं है।
नामान्तरकरण में सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं होने से वह आदेश अन्तिम हो चूका है जिरह में बताया की यह बात सही है कि मरे मित्र चौथाराम 1956 के बाद गुजरे थे। यह बात सही है कि ई एक्स ए 2 व ई एक्स ए 3, में वादीनी की साख नहीं है क्योंकि वादीनी मेरी बहन नहीं है ये बात सही है चौथाराम जन्म से हिन्दू थे व हिन्दू रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई मेरी माता का नाम पूरो देवी था जीवाराम की माता का नाम पूरो देवी था। यह बात गलत है कि जीवाराम व ओमीदेवी दोनो बहन भाई नहीं है। ओमी देवी जीवाराम की धर्म बहन है। दावे में वंशावली में गलत बतायी गई है मैने अपने जबाब दावे की साथ मेरे पिता चौथाराम का सजरा पेश नहीं किया है मुझे मालूम न हीं कि ओमादेवी का नाम पुरोदेवी के कोख से हुआ है मुझे मालूम नहीं की हाजिर अदालत ओमा देवी ने मेरे पिता के घर में जन्म लिया है और उसे देखा हो यह बात सही है कि मेवानगर जो मकान है चौथारामजी के समय का है। पत्रावली में पेश दोनो फोटो से मै अपने भाई के साथ बैठा हूं, फोटो किसी प्रोग्राम का है मुझे ध्यान नहीं है मेरे फोटो में भाई के साथ मेरे भाई के साथ जीवारा की धर्म बहन बैठी है। जीवाराम ने वादीनी कब धर्म बहन बनाया मुझे याद नहीं है सपना के शादी समारोह में भाई जीवाराम के कहने से आया था विवाह की सारी रिस्में जीवाराम के कहने से की थी नेतर की लिखावट मेरे हाथ की नहीं है नेतर का कागज मेरी कलमी होने का झूठा लिखा जा रहा है। अज खुद कहा की उक्त पत्र फर्जी है मैने मेरे जबाब दावे मे वादीनी ओमादेवी को मेरे भाई जीवाराम के धर्म बहन होने का कोई कथन नहीं किया ओमादेवी को मै कब से जानता हूं इसका टाईम निश्चित नहीं है। नामान्तरकरणक भरने वक्त ओमादेवी की कोई नोटिस नहीं दिया गया अज खुद कहा कि ओमादेवी बहिन नहीं है इसलिए नोटिस नहीं दिया गया । यह बात गलत है कि म्यूटेशन संख्या 548 गलत भरा हो मुझे मालूम नहीं है कि ओमादेवी की शादी किशनलाल भाट बंजारा के साथ हुई हो यह बात गलत है कि मेरी माता पुरोदेवी मेरे पिता चौथाराम के गुजरने के पहले गुजरी हो बल्कि चौथाराम के गुजरने के बाद गुजरी थी। आपसी समझौता का दस्तावेज मैने दावा के साथ पेश नहीं

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

म वादीनी का अपना बहन नहीं होना बताया और न ही हक हिस्सा होना बताया व दावा व बयानों की सत्यता व कथन की पुष्टि हेतु लिखित साक्ष्य सबूत पेश नहीं म तथा अपनी बहन होना नहीं बताया व जीवाराम की धर्म बहन होना बताया परन्तु नी व जिरह में ओमा किस परिवार से उसके पिता का क्या नाम है कहां के रहने वाली उल्लेख नहीं किया तथा वादपत्र के पदों का डिनायल किया वाद पत्र को डिनायल के कथन में कोई गवाह सबूत पेश नहीं किया।

प्रतिवादी शंकर लाल को साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये गये बावजूद भी क्ष्य के अवसर देने के बाद ही साक्ष्य बंद करने पर राजस्व मण्डल में निगरानी में भी की कोस्ट पर पुनः साक्ष्य का अवसर देने के आदेश पर प्रतिवादी शंकरलाल ने कोस्ट दा न खुद की साक्ष्य बंद करवायी गई।

प्रतिवादी संख्या–2 व अन्य के नोटीस तामिल होने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रतिवादी की साक्ष्य बंद के बाद रिबर्टनक से सन्तोष देवी के ब्यान कराये जिसमें वादीनी को वीधाराम की बेटी होना बताया तथा प्रतिवादी संख्या –2 की पत्नि सन्तोष देवी पत्नि जीवाराम प्रतिवादी ने वादीनी को अपनी सगी ननद होना बताया। रिबर्टन गवाही उपरान्त दावों बहस रखी गयी। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया प्रकरण में वादीनी के वीधाराम की उत्तराधिकारी होने का प्रश्न निहित है जिसके सबंध में उभयपक्ष की ओर से विरोधाभासी तथ्य प्रकट किए गए है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी निर्धारण करने का क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय का है राजस्व न्यायालय का नहीं। चूंकि किसी भी न्यायालय से उत्तराधिकार निर्धारण के सबंध में वादिनी द्वारा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः वादिनी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा